

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर प्रांतीय
प्रकरण संख्या 139/2024 (धारा 14 रिक्वोरिटोईजेशन)

सी एस एल फाइनेन्स लिमिटेड, पंजीकृत पता- 410-412, 18/12, घतुर्थ तल, बन्दू ई. ए. आर्य समाज
रोड, करोल बाग, नई दिल्ली।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री अजय देवेडा,
2. श्री छीतरमल,
3. श्री गुलाब,

पता:- राजावास, जयपुर।



अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The
Securitisation and Reconstruction of Financial Assets
and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :-

1. श्री प्रमोद कुमार, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 25.07.2024

1. रजिस्ट्रार के प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.08.2023 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिमूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती गुलाब पत्नी श्री छीतरमल के स्वामित्व की संपत्ति खसरा नं. 142, ग्राम राजावास, पटवार हल्का नांगल सिरस, तहसील आमेर, जिला जयपुर पर स्थित आवासीय प्लॉट, क्षेत्रफल 289.33 वर्गगज एवं खसरा नं. 142, ग्राम राजावास, पटवार हल्का नांगल सिरस, तहसील आमेर, जिला जयपुर पर स्थित बाड़ा, क्षेत्रफल 606.66 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 20,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 08.05.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का मौलिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 20,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिमूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (प्रांतीय)



22.08.2024/- रूपरे की आप सूचना जाग करने हेतु अप्राप्तिगण को दिनांक 08.06.2024 को अधिनियम की धारा 14 (2) के अधीन शक्तिपत्र नोटिस जारी किया गया है अप्राप्तिगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोर्षु जवाब नहीं दिया गया और अप्राप्तिगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया रूप राशि का सुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपरे से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बचक रक्षी गर्षु सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था को पक्ष में बचक रक्षी गर्षु सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्पण में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रवृत्त शक्तिगों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था को पक्ष में अप्राप्ती श्रीमती गुलाब पत्नी श्री भीतरगल के स्वामित्व की बचक सम्पत्ति खसरा नं. 142, माग राजावास, पटवार हल्का नांगल शिरसा, तहसील आगेर, जिला जगपुर पर स्थित आवासीय प्लॉट, क्षेत्रफल 289.33 वर्गगज एवं खसरा नं. 142, माग राजावास, पटवार हल्का नांगल शिरसा, तहसील आगेर, जिला जगपुर पर स्थित बाड़ा, क्षेत्रफल 808.88 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिसे सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किगे जाने के आदेश दिगे जाते हैं।

5. आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस सपायुक्त जगपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जगपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जाने की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द



आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पन्नावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। दिनांक 25.07.2024 को सरे इजलासा सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुसोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलकत्ता) जगपुर (ग्रामीण)